जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 30.05.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 468/25 धारा 115(2)/352/351(2)/69 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.05.2025 को वादिया ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त टीकाराम पुत्र मुन्नू सिंह निवासी मौहल्ला जाटान बी-2 थाना कोतावाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के साथ गलत कार्य किया गया तथा गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से सरिये से मारपीट की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 468/25 धारा 115(2)/352/351(2)/69 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त टीकाराम पुत्र मुन्नू सिंह निवासी मौहल्ला जाटान बी-2 थाना कोतावाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

टीकाराम पुत्र मुन्नू सिंह निवासी मौहल्ला जाटान बी-2 थाना कोतावाली शहर जनपद बिजनौर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 267/2019 धारा 324/524 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 468/2025 धारा 115(2)/352/351(2)/69 बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

01. उ0नि0 सुशील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

02. आरक्षी अरशद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 30.05.2025**

थाना नहटौर पुलिस ने 02 अभियुक्तो को चोरी किये गए माल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.05.2025 को वादी ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी के खेत सहित आसपास के अन्य लोगो के खेतो पर लगे नलकूप से स्टार्टर चोरी कर लिये गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 125/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1.जमशेद पुत्र अ0 रशीद व 2.अकरम पुत्र शमीम निवासीगण ग्राम धनुपुरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश मे आये।

कार्यवाही –

थाना नहटौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.जमशेद पुत्र अ0 रशीद व 2.अकरम पुत्र शमीम निवासीगण ग्राम धनुपुरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर को उपरोक्त अभियोग से संबंधित चोरी किये गए नलकूप के 04 स्टार्टर सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.जमशेद पुत्र अ0 रशीद निवासी ग्राम धनुपुरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

2.अकरम पुत्र शमीम निवासी ग्राम धनुपुरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

अभियुक्त जमशेद का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 125/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 180/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

अभियुक्त अकरम का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 125/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

2.मु0अ0सं0 180/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

चोरी किये गए नलकूप के 04 स्टार्टर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

01. उ0नि0 सागर चौधरी थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

02. का0 1356 अंकित चौहान थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

03. का0 472 भजन लाल थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट- जनपद बिजनौर दिनांक 30.05.2025

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में 02 हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों को 1.5 –1.5 वर्ष के कारावास व कुल 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

कार्यवाही:–

दिनांक 22.08.2019 को थाना नजीबाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1.तस्लीम पुत्र बाबू निवासी लालूवाला धनौरा, आदर्श नगर कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर व 2.इन्तजार पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम कलेहडी मुबारकपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 01-01 अवैध तमन्चा 12 बोर मय 02-02 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध मे शस्त्र अधिनियम की धाराओ मे थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 434/19 बनाम तस्लीम उपरोक्त व मु0अ0सं0 435/19 बनाम इन्तजार उपरोक्त पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा दोनो अभियोगो में विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोगो में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 30.05.2025 को माननीय न्यायालय A.D.J पॉक्सो एक्ट, जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्तगण 1.तस्लीम पुत्र बाबू निवासी लालूवाला धनौरा, आदर्श नगर कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 434/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व 2.इन्तजार पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम कलेहडी मुबारकपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 435/19 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में 1.5-1.5 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को दो-दो हजार रूपये (कुल 4,000/- रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि **अभियुक्तगण तस्लीम व इन्तजार थाना नजीबाबाद के हिस्ट्रीशीटर अपराधी (हिस्ट्रीशीट संख्या क्रमशः 33A व 47A) है, जिनके विरुद्ध चोरी/लूट/डकैती/गैंगस्टर आदि गंभीर धाराओं मे 01-01 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।**

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता –

1-हिस्ट्रीशीटर तस्लीम पुत्र बाबू निवासी लालूवाला धनौरा, आदर्श नगर कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर **(हिस्ट्रीशीट सं0 33A)**

2-हिस्ट्रशीटर इन्तजार पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम कलेहडी मुबारकपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर **(हिस्ट्रीशीट सं0 47A)**

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 30.05.2025**

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 138/25 धारा 137(1)/64/351(2) बीएनएस, धारा 67(ए) आईटी एक्ट, धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.05.2025 को वादिया ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त प्रशान्त पुत्र सन्तराम निवासी मौ0 सिंघाडियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर वादिया की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया एवं उसके साथ गलत कार्य किया तथा वीडियो बनाकर वायरल कर दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 138/25 धारा 137(1)/64/351(2) बीएनएस, धारा 67(ए) आई0टी0 एक्ट, धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग मे धारा 137(1) बीएनएस का लोप कर धारा 137(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

कार्यवाही –

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त प्रशान्त पुत्र सन्तराम निवासी मौ0 सिंघाडियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को एक मोबाइल फोन (रेडमी कम्पनी) सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

प्रशान्त पुत्र सन्तराम निवासी मौ0 सिंघाडियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 138/25 धारा 137(2)/64/351(2) बीएनएस, धारा 67(ए) आई0टी0 एक्ट, धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

एक रेडमी कम्पनी का मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 विरेन्द्र कुमार थानाध्यक्ष किरतपुर जनपद बिजनौर।
2.उ0नि0 जगपाल सिंह थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3.मुख्य आरक्षी सन्नीराज तोमर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
4.मुख्य आरक्षी अनुराग कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 30.05.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 251/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/324(2)/125/351(3)/131 बीएनएस व धारा 7 सीएलए एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.05.2025 को वादी श्री कपिल कुमार पुत्र जयप्रकाश सिंह निवासी ग्राम रुपपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 03.05.2025 को समय करीब 21.30 बजे वादी अपने गाडी चालक उदित कुमार के साथ अपने ईंट भट्टे इस्माइलपुर से घर वापस आ रहा था। वादी की गाडी जैसे ही धनौरा फाटक पर पहुंची तो दो लडके (नईम अहमद व सरफराज) द्वारा वादी की गाडी के सामने अपनी मोटरसाइकिल लगा दी, जिसको वादी व उसके चालक द्वारा हटाने के लिये कहा गया तो मोटरसाइकिल सवार युवको द्वारा वादी व वादी के चालक के साथ गाली गलौच करते हुये मारपीट की गयी तथा वादी का मोबाइल तोड दिया, जिसके उपरान्त मोटरसाइकिल सवार युवकों के अन्य साथी मौके पर पहुंचे और उन्होने वादी व वादी के चालक के साथ मारपीट की गयी तथा उनके ऊपर पत्थर फेंके, जिससे वादी की गाडी क्षतिग्रस्त हो गयी। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 251/25 धारा 191(2)/190/115(2)/352/324(2)/125/351(3)/131 बनाम नईम अहमद व सरफराज उपरोक्त सहित 07 नामजद व अन्य अज्ञात पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग से सम्बंधित 04 अभियुक्तों को स्थानीय पुलिस द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही का विवरण –

आज दिनांक 30.05.2025 को थाना चांदपुर पुलिस ने उक्त अभियोग में प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1.मौ0 शाहजेब उर्फ साजू उर्फ मुन्ना पुत्र रहीस उर्फ आरिफ उर्फ कालू निवासी मौ0 काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2.फिरोज उर्फ गोरा उर्फ फिरोजखान पुत्र तौफीक मलिक निवासी ग्राम बीलना थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है। शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.मौ0 शाहजेब उर्फ साजू उर्फ मुन्ना पुत्र रहीस उर्फ आरिफ उर्फ कालू निवासी मौ0 काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.फिरोज उर्फ गोरा उर्फ फिरोजखान पुत्र तौफीक मलिक निवासी ग्राम बीलना थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री मदनपाल सिह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 371 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 1882 कृष्ण कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

4.कां0 2295 आकाश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना साइबर क्राइम **दिनांक – 30.05.2025**

थाना साइबर क्राइम पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम ने थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 02/2025 धारा 318(4)/319(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 66/66 सी/66 डी आईटी एक्ट में 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साइबर फ्रॉड से प्राप्त 3,01,850 /- रुपये, 08 मोबाईल फोन, 02 लैपटाप, 2 पैन कार्ड, 08 आधार कार्ड, 03 आधार कार्ड की छायाप्रति, 03 शाओमी के वेब कैम ,02 ड्राइविंग लाइसेंस, 01 एचडीएफसी बैंक का चेक, 05 क्रेडिट/डेबिट कार्ड ,01 चेक बुक कोटेक महेन्द्रा बैंक आदि अन्य प्रपत्र बरामद किये व 17,00,000 /- रुपये फ्रीज कराये व वादी को 02 लाख उसके खाते में वापस कराये ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.05.2025 को वादी श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री आशाराम नि0 ग्राम लालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने साइबर थाना आकर सूचना दी कि वह भारतीय नौसेना से रिटायर्ड है व करीब दो माह से एक व्हाटसएप ग्रुप में किसी अरूण कुमार व चित्रा नामक ग्रुप एडमिन ने जोड़कर उसको ट्रेड़िग में अच्छे लाभ की जानकारी दी व उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड लिया उसी व्हाटसएप ग्रुप में एक BN Fast Track Portal एप के माध्यम से शेयर खरीदने व बेचने को कहा गया इसी पर विश्वास करते हुए वादी ने दिनांक 10.03.2025 से 23.04. 2025 तक कुल 51 ट्रांजेक्शन के माध्यम से विभिन्न खातों में IMPS and RTGS द्वारा कुल 2 करोड 8 लाख 34 हजार 881 रूपये भेजे। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 02/2025 धारा 318(4)/319(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 66/66 सी/66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया। समस्त तकनीकी जानकारी व विवेचनात्मक कार्यवाही में निम्नलिखित अभियुक्त अभी तक प्रकाश में आये है।

1. नासिर अली पुत्र अकबर अली निवासी ए–259 गली नं0 4/5 चौहार बांगर सीलमपुर नार्थ ईस्ट दिल्ली 110053
2. दानिश पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी टी 591 गली नं0 16 गौतमपुरी भजनपुरा नार्थ ईस्ट दिल्ली
3. नईम अहमद पुत्र यासीन खान निवासी मौ0 नगलिया नारायण , शहनाई बैंकेट हाल के पास ठाकुरद्वारा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद
4. मौ0 रजा हसन पुत्र मकसुदुल हसन निवासी 23 बारी एन्कलेव आईआईएम मार्ग के पास, विलेज मुतक्कीपुर अल्लूनगर दिगुरिया थाना मंडियाऊ लखनऊ
5. विराट पुत्र स्व0 शिवकुमार सिंह निवासी जमनावाला ठाकुरद्वारा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद
6. अब्दुला पुत्र अब्दुल अजीज निवासी मौ0 अल्ली खा वार्ड नं0 24 निकट सिद्दकी मेरिज हाल काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड़।

मोडस ऑपरेंडी–

इस प्रकरण में वादी पूर्व से ही शेयर मार्किट में GROWW App के माध्यम से निवेश कर रहे थे। वादी ने बताया कि उसको Whatsapp पर एक अंजान नम्बर से मैसेज आया और उसने अपना नाम चित्रा माधवानी बताते हुए खुद को शेयर मार्किट एड्वाइजर के रूप में प्रस्तुत किया और GROWW App पर ही कई छोटे Amount के स्टॉक बताये कि इन स्टॉक की Short Selling से वादी को फायदा होगा। वादी ने बताए गये स्टाक की Short Selling की तो Profit हो गया। इसी प्रकार उसने अगले दिन फिर तीन से चार स्टॉक बताये जिनकी Short Selling की तो पुनः Profit हो गया।

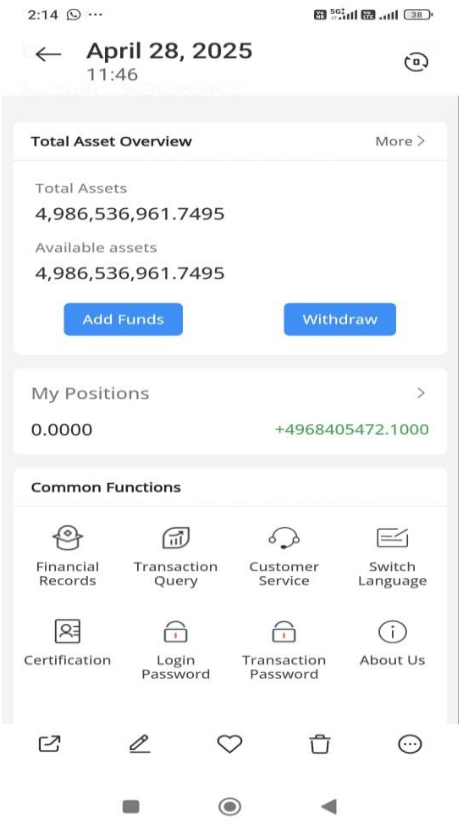

1. विश्वास में आने के बाद वादी को एक व्हाटसएप ग्रुप में जोड़ा गया जिसमें 40 से 45 अन्य मेम्बर के साथ एक शेयर मार्किट एनलिस्ट भी मौजूद था। सभी को बताया गया कि एप BN Fast Track Portal पर एनराल करें। जिसमें Core Members को Medical, Insurance, Compony Profit in share and Extra block Deal Profit मिलेगी। यह प्लान 4 महीने चलेगा। वादी ने ग्रुप में दिये गये लिंक https://play.google.com/store/apps/details?id=com.worksoft.pomodoro.worksoft_focus_timer&hl=en_IN&pli=1 से BN Fast Track Portal को डाउनलोड कर लिया।

2. प्रथम बार में वादी ने 10 हजार रूपये को उसी एप के Customer Care Section inbox में भेजे गये Account Number में डाल दिया और इसी Section मे Payment Screenshot Upload किया। Payment Screenshot Upload होने के 10 से 15 मिनट बाद ही इस Fake BN Fast Track Portal Dashboard पर वादी को 10 प्रतिशत Profit दिखाया।

3. वादी इसके बाद 10 लाख रूपये तक Customer Care Section inbox में भेजे गये Account Number में भेजता रहा और उपरोक्त फेक डेशबोर्ड पर वादी को 10 से 15 प्रतिशत Profit Show होता रहा।

4. इसके बाद वादी को ग्रुप में Core Members में शामिल कर लिया गया और उपरोक्त चित्रा माधवानी 24 घटों के लिए वादी की Personal Assistant नियुक्त हो गयी और वादी को Block Deal के माध्यम से 30 से 35 प्रतिशत रिर्टन की गारटी दी गयी और साथ में Malaysia Tour पर ले जाने का ऑफर दिया गया। इस पर वादी ने Customer Care Section inbox में भेजे गये अलग अलग Account Numbers में अपने खाते से IMPS & RTGS के माध्यम से पैसे भेजकर Screenshot Upload किया। इसमें वादी को प्रत्येक निवेश पर अधितम 42 प्रतिशत तक Profit दिखाया गया।

5. वादी ने अपने प्रोफिट को निकालने की बात की तो वादी को बताया गया कि 50 लाख Brokerage Profit जमा करने पर ही पैसा निकाल सकेगें। वादी को Fake BN Fast Track Portal पर 498 करोड़ का Profit दिखाया जा रहा था। लेकिन वादी द्वारा भेजे गये पैसों को Customer Care Section inbox में भेजें गये खातों से निकाल लिया गया था।

पूछताछ का विवरण गिरफ्तार अभियुक्त :–

1. पूछताछ में अभियुक्त नासिर अली व दानिश उपरोक्त द्वारा बताया कि उनके साथी चार्ल्स, शमीम व एरीज विदेश में है तथा वहां से टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताते है कि साथी नईम, मौ0 रजा हसन, अब्दुल्ला व विराट आयेगे आप उनके रूकने की होटल में व्यवस्था करेगें।

2. दानिश उनके दिये अकाउट की KYC करेगा और नासिर वेब केम के सामने बैठेगा जिससे उनके किसी भी खाते में किसी भी Transaction करने में कोई समस्या न हो।

3. अब्दुल्ला एक बार पूर्व में खाता भेजकर स्पष्ट कर लेता था कि इस बैंक का खाता चल जायेगा या नहीं बाकि तकनिकी सपोर्ट को नासिर व दानिश विडियो व टेलीग्राम से प्राप्त निर्देशों के साथ करते थे।

4. जैसे ही खाते में Transactions पूरी हो जाती थी तो अब्दुल्ला उपरोक्त Trust Wallet/Binance से खातों में होने वाली Transactions का हिस्सा प्राप्त कर मौ0 रजा, विराट व नईम को UPI/Cash से दे देता था।

5. अब्दुल्ला ने बताया कि वो व मौ0 रजा, विराट, नईम फर्जी कम्पनिया बनाकर उनके कंरट अंकाउट तैयार कर लेते है। जिसमें लेने देन की कोई लिमिट नहीं होती, अकांउट चलते ही उस संस्था उदाहरण (अबान आयल व आटा चक्की) को बंद कर देते है। चूकिं कम्पनियो का अकांउट होने की वजह से हमने सोचा था कि हमको पुलिस नहीं पकड़ सकेगी मैं व मौ0 रजा, विराट व नईम दिल्ली में नासिर व दानिश के साथ मिलकर व्हाटसएप, टेलिग्राम व विडियों के माध्सम से दिल्ली के होटलों में बैठकर अपने विदेश में बैठे साथियो के माध्यम से साइबर ठगी से प्राप्त पैसों को स्थानातंरित कर निकलवाते है, जिसके लिए हमे हमारा हिस्सा भी मिल जाता है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम पता :–</u>

साइबर थाना, साइबर सैल, सर्विलांस व स्वाट की संयुक्त टीम द्वारा घटना में अभी तक प्रकाश में आये उपरोक्त 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

1. नासिर अली पुत्र अकबर अली निवासी ए–259 गली नं0 4/5 चौहार बांगर सीलमपुर नार्थ ईस्ट दिल्ली 110053
2. दानिश पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी टी 591 गली नं0 16 गौतमपुरी भजनपुरा नार्थ ईस्ट दिल्ली
3. नईम अहमद पुत्र यासीन खान निवासी मौ0 नगलिया नारायण , शहनाई बैंकेट हाल के पास ठाकुरद्वारा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद
4. मौ0 रजा हसन पुत्र मकसुदुल हसन निवासी 23 बारी एन्कलेव आईआईएम मार्ग के पास, विलेज मुतक्कीपुर अल्लूनगर दिगुरिया थाना मंडियाऊ लखनऊ
5. विराट पुत्र स्व0 शिवकुमार सिंह निवासी जमनावाला ठाकुरद्वारा थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद
6. अब्दुला पुत्र अब्दुल अजीज निवासी मौ0 अल्ली खा वार्ड नं0 24 निकट सिद्दकी मेरिज हाल काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड़।

<u>नोट –</u>

➢ वादी को 02 लाख उसके खाते में वापस कराये साथ ही अभी तक बैकों में 17 लाख रूपयों को विभिन्न बैंक खातों में फ्रिज करया जा चुका है।

➢ जिनमें से बैकों से प्राप्त डिटेल्स के आधार पर 13 लाख से अधिक धनराशि को वादी को वापस कराये जाने हेतु मा0 न्यायालय से आदेश कराकर वादी को वापस कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

➢ इसके अतिरिक्त तीन लाख रूपये अभियुक्तगण से बरामद किये गये है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगी –</u>

1. 3,01,850 रु0 नगद
2. 08 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी,
3. 02 लैपटाप,
4. 2 पैन कार्ड,
5. 08 आधार कार्ड, (02 फर्जी)
6. 03 आधार कार्ड की छायाप्रति,

7. 03 शाओमी के वेब कैम,
8. 02 ड्राइविंग लाइसेंस,
9. 01 एचडीएफसी बैंक का चैक,
10. 05 क्रेडिट/डेबिट कार्ड,
11. 01 चैक बुक कोटेक महेन्द्रा बैंक,
12. 01 आल्टो गाडी सलेटी रंग की नं0 UP 15 AF 1409 व 01 अदद चालान अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट।

प्रचलित पुलिस कार्यवाही :–

प्रकरण में ग्रुप में अन्य ग्रुप मेम्बर की पहचान व टेलिग्राम चैनल के सभी मेम्बर की पहचान व तस्दीक अन्य सभी खाता धारको की पहचान, उपयोगकर्ताओं की पहचान व वादी के पैसों को फ्रीज कराये जाने की प्रक्रिया प्रचलित है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना साइबर क्राइम, स्वाट / सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह थाना साइबर क्राइम
2. निरीक्षक श्री सचिन मलिक प्रभारी स्वाट मय टीम
3. उ0नि0 श्री योगेश कुमार मय टीम
4. हे0कां0 369 विवेक तोमर
5. हे0का0 372 जितेन्द्र सिंह
6. आरक्षी 239 निशांन्त यादव
7. आरक्षी 15 जैनुल मलिक

साइबर अपराधों से बचाव के लिए अपील :

1. वेबसाइट खोलने से पहले सुनिश्चित करें कि यह "https" से शुरू हो रही है।

2. पासवर्ड मजबूत और यूनिक बनाएं और नियमित रूप से बदलें।

3. अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए एक अलग पासवर्ड का उपयोग करें।

4. बैंकिंग, ईमेल और सोशल मीडिया के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) का इस्तेमाल करें।

5. केवल आधिकारिक और प्रमाणित वेबसाइट से सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करें।

6. सोशल मीडिया पर केवल भरोसेमंद लोगों को ही फ्रेंड लिस्ट में जोड़ें।

7. फ्री वाई-फाई का उपयोग करते समय संवेदनशील जानकारी न डालें।

8. अपने मोबाइल और कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल करें।

9. अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखें।

10. नियमित रूप से अपने बैंक खातों और ऑनलाइन लेनदेन की निगरानी करें।

11. मोबाइल और कंप्यूटर को समय-समय पर अपडेट करें।

12. सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें।

13. स्पैम और फिशिंग ईमेल को तुरंत डिलीट करें।

14. संदेहास्पद कॉल्स और संदेशों से सतर्क रहें।

15. ऑनलाइन खरीदारी के लिए विश्वसनीय वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें।

16. बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग सिखाएं।

17. संवेदनशील दस्तावेज़ों की डिजिटल प्रतिलिपि को पासवर्ड से सुरक्षित रखें।

18. अपने ईमेल और अन्य खातों के लिए लॉगआउट करना न भूलें।

19. सार्वजनिक कंप्यूटर पर पासवर्ड सेव न करें।

20. ऑनलाइन गेम्स में भी अपनी जानकारी सुरक्षित रखें।

21. व्हाटएसएप टेलीग्राम जैसी साइटो पर आने वाले अंजान लेन देन के झांसो में न आये, न ही उनके द्वारा डाउनलोड कराये गये किसी लिंक, साइट के माध्यम से निवेश करें।